न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 67/2021 बउनवानी दिनेश खण्डेलवाल बनाम लो.सू.अधि.एवं प्र.अ.जिला अभिलेखागार(भू.अ.)
पुत्र श्री जे0पी0 खण्डेलवाल, निवासी खण्डेलवाल मोर्टस,प्रा.लि. जयपुर रोड़ महवा, जिला दौसा

GCMS No-2021/166 **on line appeal no.321137047264994**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.8.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार(भू.अ.) की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 22.6.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र आरटीआई पोर्टल पर प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः—

1. राजस्व ग्राम महवा के सम्वत् 1984 मे खसरा नम्बर 240 एवं 241 के खातेदार एवं भूस्वामी कौन थे, जमाबन्दी की प्रति उपलब्ध करावें
2. राजस्व ग्राम महवा के सम्वत् 1965 मे खसरा नम्बर 240 एवं 241 के खातेदार एवं भू—स्वामी कौन थे जमाबन्दी की प्रति उपलब्ध करावें
3. राजस्व ग्राम महवा के सम्वत् 1925 एवं इसके बाद मे खसरा नम्बर 240 एवं 241 के खातेदार एवं भू—स्वामी कौन थे, जमाबन्दी की प्रति उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार (भू.अ.) सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार(भू.अ.) सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार (भू.अ.)सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/प.14/7/3/सूकाअ/भू.अ./रि./2021/4492 दिनांक 18.8.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.6.2021 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 में चाही गयी सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार (भू.अ.)सवाईमाधोपुर के पत्रांक 3894 दिनांक 16.7.2021 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि प्रार्थना पत्र दिनांक 22.6.2021 मे चाही गयी सूचना (राजस्व ग्राम महवा का भू. अभिलेख जमाबन्दी) जो लगभग 125—150 वर्ष पुरानी है जिसका कार्यालय मे संधारण नही होने के कारण उक्त सूचना जिला अभिलेखागार में उपलब्ध नही है इसलिए सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 7(9) के तहत वांछित सूचना दिया जाना अपेक्षित नही होने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 22.6.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 से 3 मे चाही गयी सूचना (राजस्व ग्राम महवा का भू.अभिलेख जमाबन्दी) जो लगभग 125—150 वर्ष पुरानी है तथा ऐसी सूचनाऐ जिनको तलाश किये जाने में किसी कार्यालय के साधनो का अनुपातिक रूप से अपयोजन होने के कारण अधिनियम की धारा 7(9) के तहत उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। इस प्रकार उक्त संबंध में सहायक [illegible] सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार (भू0अ0) की ओर से [illegible] होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझता [illegible] की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं [illegible] अभिलेख की जावे। [illegible] खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:44:20 IST
Reason: SelfAttested